न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

बईजलास –पीयुष समारिया, जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

भरण पोषण अपील संख्या–245 / 2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नंम्बर–2022 / 308

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
रमेश पुत्र ओमप्रकाश जाति सोनी आयु 40 वर्ष निवासी सदर बाजार पलटन गेट के बाहर, कुचामनसिटी, तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर		ओमप्रकाश पुत्र बंशीधर जाति सोनी निवासी पलटन गेट, तेलियों की गली कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

आदेश **दिनांक– 01.11.2022**

1–अपीलान्ट ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुचामनसिटी द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज प्रकरण संख्या–02 / 2021 ओमप्रकाश बनाम रमेश में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2022 से व्यथित होकर दिनांक 30.08.2022 को यह अपील पेश की है। यह प्रकरण रेस्पोडेन्ट व मूल रिकार्ड की तलबी हेतु आज नियत था। हस्तगत प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील पुत्र के द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त अधिनियम 2007 के तहत पुत्र द्वारा प्रस्तुत यह अपील न्यायालय हाजा द्वारा संधार्य नहीं है। इस बाबत अपीलान्ट को सुना गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त संबंध में कथन किया की उक्त अधिनियम 2007 के तहत व्यथित व्यक्ति द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जा सकती है, का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई कर मेरिट पर निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

उक्त संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता रेस्पोडेन्ट ओमप्रकाश द्वारा द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट (भरण पोषण अधिकरण) के समक्ष प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। उक्त निर्णय जैर अपील के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 में अपील अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के संबंध में प्रावधान किये गये है, जो इस प्रकार है– ***16. अपीलें–***

(1) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा व्यथित, यथास्थिति, कोई वरिष्ठ नागरिक या कोई माता–पिता आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील पर, वह बालक या रिश्तेदार, जिससे, ऐसे भरण–पोषण के आदेश के निबन्धनों के अनुसार किसी रकम का संदाय किये जाने की अपेक्षा की गयी है, ऐसे माता–पिता को इस प्रकार आदेशित रकम का संदाय अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित रीति से करता रहेगा:

परन्तु यह और कि अपील अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) अपील अधिकरण, अपील की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील करवायेगा।

(3) अपील अधिकरण उस अधिकरण से, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, कार्यवाहियों का अभिलेख मंगा सकेगा।

(4) अपील अधिकरण, अपील और मंगाये गये अभिलेख को परीक्षा करने के पश्चात या तो अपील को मंजूर कर सकेगा या खारिज कर सकेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

(5) अपील अधिकरण, अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की गयी अपील का न्याय निर्णयन और विनिश्चय करेगा तथा अपील अधिकरण का आदेश अन्तिम होगा :परन्तु कोई अपील तब तक खारिज नहीं की जायेगी, जब तक कि दोनों पक्षकारों को वैयक्तिक रूप से या सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो।

(6) अपील अधिकरण अपना आदेश अपील की प्राप्ति के एक मास के भीतर लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा।

(7) उपधारा (5) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश की एक–एक प्रति दोनों पक्षकारोंको निःशुल्क भेजी जायेगी।

4(1)– इस प्रकार उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16 के अनुसार वरिष्ठ नागरिक या कोई माता–पिता द्वारा ही उपखण्ड मजिस्ट्रेट (अधिकरण) द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट (अपील अधिकरण) के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अन्य पक्ष को अपील अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान अधिनियम 2007 की धारा 16 में नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा भी वरिष्ठ नागरिक या कोई माता–पिता के अतिरिक्त अन्य पक्ष द्वारा अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकने बाबत कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील पर सुनवाई कर मेरिट पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

5–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं हाने से खारिज की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी को उनकी मूल पत्रावली लौटाई जाकर आदेश की प्रति भिजवाई जावे एवं प्रकरण के पक्षकारान को आदेश की प्रति निशुल्क भिजवाई जावे।

6–आदेश सुनाया।

(पीयुष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)